

**गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण,
संस्थागत सेक्टर-7, गोरखपुर।**

विज्ञापन/पत्रांक संख्या : 6259

दिनांक.....27-03-2023

निविदा सूचना

मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गीडा की ओर से फ्लैटेड फैक्ट्री (जी+3) के भवन निर्माण सहित सिविल कार्य के अन्तर्गत आन लाईन ई-निविदा के सात कार्य एवं आफ लाईन निविदा के अन्तर्गत छः कार्य तथा विद्युत कार्यों के अन्तर्गत आन लाईन ई-निविदा के चार कार्य एवं आफ लाईन निविदा के चार कार्य हेतु उपरोक्तानुसार निविदायें दिनांक 28.03.2023 को पूर्वाह्न 11:00 बजे से दिनांक 18.04.2023 अपराह्न 3:00 बजे तक आमंत्रित की जाती हैं। संबंधित ई-निविदा प्रपत्र वेबसाइट <http://etender.up.nic.in/www.gidagkp.in> पर उपलब्ध होगा, तथा आफ लाईन निविदा की सूचना/नियम एवं शर्तें गीडा की वेबसाइट www.gidagkp.in पर उपलब्ध होगा। निविदा नोटिस में धरोहर धनराशि, निविदा मूल्य, निविदा डालने की तिथि, कार्य करने की अवधि एवम् निविदा लागत तथा निविदा की विस्तृत नियम एवं शर्तों का उल्लेख है। आफ लाईन निविदा हेतु निर्धारित निविदा मूल्य गीडा के बैंक खातों में जमा कर निविदा प्रपत्र गीडा के वित्त अनुभाग से प्राप्त किया जा सकता है। आन लाईन निविदा के प्रपत्र वेबसाइट <http://etender.up.nic.in/www.gidagkp.in> पर देखे एवं वही पर भरे जा सकेंगे। इच्छुक ठेकेदारों/फर्मों से अनुरोध है कि वे नियमित रूप से उक्त वेबसाइटों को देखते रहें, क्योंकि आन लाईन ई-निविदा के सम्बन्ध में कोई बदलाव अथवा अतिरिक्त सूचना वेबसाइट पर एवं आफ लाईन के संबंध में गीडा नोटिस बोर्ड अथवा गीडा की उक्त वेबसाइट पर उपलब्ध करायी जायेगी।

(पवन अग्रवाल)

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
गीडा, गोरखपुर।

गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण,

संस्थागत सेक्टर-7, गोरखपुर।

दूरभाष- नं० (0551) 2580010, फ़ैक्स (0551) 2580010.

ई-निविदा सूचना

गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण के औद्योगिक सेक्टर-27 (नरकटहॉ) में औद्योगिक भूखण्डों के ऊपर से गुजर रही 11 के.वी. विद्युत लाईन की शिफ्टिंग/डिशमेंटलिंग के कार्य हेतु विद्युत सुरक्षा निदेशालय उ० प्र० शासन से जारी 'क' श्रेणी अनुमोदित लाईसेंसधारी 'ए' श्रेणी के ठेकेदारों से आन लाईन ई-निविदा प्रतिशत दर में अधोलिखित कार्य हेतु 'टू-विड्स सिस्टम के माध्यम से निविदा दिनांक 28.03.2023 को पूर्वान्ह 11:00 बजे से दिनांक 18.04.2023 को अपरान्ह 2:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है तथा उसी दिन दिनांक 18.04.2023 को अपरान्ह 4:00 बजे प्रीक्वालिफिकेशन/टेक्निकल बिड गीडा कार्यालय में खोली जायेगी एवं प्रीक्वालिफिकेशन में उपयुक्त पाये गये निविदादाताओं के फाईनेन्सियल बिड खोलने की तिथि, कुल प्राप्त निविदाओं की संख्या के आधार पर नोटिस बोर्ड/ई-पोर्टल पर सूचित किया जायेगा। कार्यालय बन्द होने पर या अवकाश होने की दशा में यह बिड अगले कार्यालय दिवस में खोली जायेगी।

क्र० सं०	कार्य का नाम	आगणन धनराशि रू० (जी.एस.टी. सहित।	धरोहर धनराशि रू० लाख में।	निविदा प्रपत्र मूल्य जी.एस.टी सहित।	कार्यावधि	पंजीकृत श्रेणी	निविदा की श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7	8
1	औद्योगिक सेक्टर-27 (नरकटहॉ) में औद्योगिक भूखण्डों के ऊपर से गुजर रही 11 के.वी. विद्युत लाईन की शिफ्टिंग/डिशमेंटलिंग का कार्य।	11056637.00	752832.00	2950.00	06 माँह	'ए' श्रेणी एवं विद्युत सुरक्षा निदेशालय उ० प्र० शासन से जारी 'क' श्रेणी अनुमोदित लाईसेंस	आन- लाईन

नोट:- कृपया निविदा के प्रपत्र इत्यादि के संबंध में विस्तृत जानकारी वेबसाइट <http://etender.up.nic.in/www.gidagkp.in> पर प्राप्त की जा सकती हैं। उक्त के अतिरिक्त दिनांक 18.04.2023 को दोपहर 12:00 बजे तक कोई भी शुद्धि पत्र यदि होगा तो नोटिस बोर्ड व गीडा गोरखपुर की वेब साईट <http://etender.up.nic.in/www.gidagkp.in> से प्राप्त किया जा सकता है।

नियम एवं शर्तें :-

- निविदादाता द्वारा निविदा मूल्य तथा धरोहर धनराशि "गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण" के खाता संख्या-740901000088, IFSC कोड- ICIC0007409, ICICI बैंक, शाखा-तारामण्डल, गोरखपुर में RTGS/NEFT के माध्यम से जमा कराते हुये जमा रसीद (UTR No/Transaction ID) निविदा प्रपत्रों के साथ ऑन लाईन अपलोड करना अनिवार्य है।
- निविदा की वैधता अवधि प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि से 90 दिन तक होगी।
- निविदादाता/फर्म को विद्युत सुरक्षा निदेशालय उ० प्र० शासन द्वारा जारी 'क' श्रेणी अनुमोदित वैध लाईसेंस, की प्रमाणित प्रति एवम् निविदादाता/फर्म को गीडा अथवा किसी भी सरकारी/अर्धसरकारी विभाग में विद्युत कार्य हेतु 'ए' श्रेणी में पंजीकृत प्रमाण-पत्र निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- ऐसे निविदादाता जिसका सगा-संबंधी (Defined as first bold relations, and their spouses) जैसा कि गीडा कार्यालय के किसी भी पद पर आसीन होंगे को कार्य करने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी। निविदादाता को इस संबंध शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- ऐसे राजपत्रित अधिकारी/अभियन्ता जिनका राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार की सेवा से दो वर्ष की सेवानिवृत्त पूर्ण नहीं किये हुये है, उनको राज्य सरकार/केन्द्र सरकार की अनुमति के बिना कार्य करने की अनुमति नहीं दी जायेगी। यदि कोई सेवानिवृत्त अभियन्ता/अधिकारी बिना सरकार की अनुमति के कार्य करते हुये पाये जायेगें, तो संज्ञान में आते ही उनकी निविदा तुरन्त निरस्त कर दी जायेगी।
- कोई भी निविदादाता जो स्टेट बार काउंसिल में पंजीकृत है उन्हें निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- प्रत्येक निविदादाताओं की बिड्स कैपिसिटी (कार्य करने की निविदा-क्षमता) को परीक्षण/आकलन करने हेतु रू० 100.00 के नॉन ज्यूडिसियल स्टैम्प के शपथ पत्र पर बिड कैपिसिटी की सभी सूचनाएं निर्धारित प्रारूप पर आन लाईन अपलोड करना अनिवार्य हैं।
- शासनादेश संख्या-2572/23-7-2014-176 (सामान्य)/06 टी०सी० दिनांक 23-09-2014 के क्रम में प्रत्येक निविदादाता को सभी सूचनायें/प्रपत्र निर्धारित प्रारूप जैसे टी०-04 (वैध चरित्र प्रमाण-पत्र) एवम् टी०-05 (वैध हैसियत

- प्रमाण-पत्र) की सत्यापित छाया प्रति एवम् टी0-6 मूल रूप से निर्धारित प्रारूप पर (निविदा आमंत्रण तिथि के पश्चात् निर्गत नोटरीज्ड) रू0 100.00 के नॉन ज्यूडिशियल स्टैम्प पेपर पर निविदा के साथ अपलोड करना अनिवार्य है।
- शासनादेश संख्या 6738 दिनांक 05.01.2007 के अनुपालन में चरित्र प्रमाण-पत्र एवम् हैसियत प्रमाण-पत्र संबंधित जनपद के जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर के स्वयं के हस्ताक्षर से जारी किया गया मान्य होगा।
- I) शासनादेश संख्या 836/23-07-2017 (सा0)/06 दिनांक 08 जून 2017 के बिन्दु संख्या 2 के अनुसार विद्युत कार्यो की निर्माण परियोजनाओ का ठेका किसी भी अपराधिक व्यक्ति को नही दिया जायेगा। कोई भी व्यक्ति जिसका अपराधिक इतिहास हो या जिसके विरुद्ध अपराधिक मुकदमें दर्ज हो अथवा माफिया गतिविधियों, गैंगस्टर एवम् गुण्डा गतिविधियों में संलग्न हो उसे ठेका नही दिया जायेगा। जो व्यक्ति संगठित अपराधों अथवा असमाजिक गतिविधियों में संलग्न हों उसे भी ठेका नही दिया जायेगा। ऐसे व्यक्तियों को निविदा प्रक्रिया में भाग लेना भी प्रतिबंधित रहेगा, साथ ही जो निविदादाता पूर्व में लोक निर्माण विभाग, उ0 प्र0 पावर कोर्पोरेशन अथवा राज्य सरकार या किसी अन्य विभागों में ब्लैक लिस्टेड की श्रेणी में आते है वे भी निविदा में भाग नही ले सकेंगे और उन्हें कोई भी निविदा स्वीकृत नही किया जायेगी। निविदादाता द्वारा इस संबंध में निविदा के साथ रू0 100.00 के नॉन ज्यूडिशियल स्टैम्प पेपर पर (नोटरी एफिडेविट) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- J) निविदा के समान प्रकृति के कार्य का आगणन के एक तिहाई धनराशि का विगत 05 वर्षों में सिंगल बॉण्ड का अनुभव संलग्न करना अनिवार्य है।
- K) निविदादाता/फर्म द्वारा निविदा मूल्य के 50 प्रतिशत धनराशि का विगत 05 वर्षों का प्रत्येक वर्ष का वार्षिक टर्न ओवर सी0ए0 द्वारा प्रमाणित बैलेस सीट एवम् आई0टी0आर0 संलग्न करना अनिवार्य होगा, वार्षिक टर्न ओवर फर्म/निविदाकार के स्वयं की प्रत्येक वित्तीय वर्ष की वार्षिक आय के आधार पर गणना की जायेगी।
- L) प्रत्येक निविदादाता को श्रम विभाग में पंजीकरण, पैन कार्ड तथा जी0एस0टी0 के पंजीकरण एवम् आधार कार्ड की प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
- M) निविदादाता द्वारा कम दर अंकित करने की स्थिति में निर्धारित थिति के अन्तर्गत नियमानुसार परफॉर्मन्स सिक्योरिटी जमा करने के पश्चात् ही अनुबन्ध की कार्यवाही की जायेगी। अन्यथा की स्थिति में जमानत धनराशि जब्त करते हुये नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही का अधिकार मुख्य कार्यपालक अधिकारी 'गीडा' में निहित होगा। परफॉर्मन्स सिक्योरिटी धनराशि को संतोषजनक ढंग से कार्य पूर्ण करने के उपरान्त अवमुक्त की जायेगी।
- N) निविदा की दरें स्पष्ट रूप से शब्दों तथा अंको में निर्धारित स्थान पर अंकित होनी चाहिए। एक/समस्त निविदा को स्वीकार व अस्वीकार करने का अधिकार मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गीडा में निहित होगा।
- O) निविदा के स्वीकृति के पश्चात कार्यादेश आदेश प्राप्ति के 10 दिन के अन्दर निविदादाता की समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करते हुये निर्धारित स्टैम्प पेपर पर अनुबन्ध सम्पादित कराना अनिवार्य है, अन्यथा विलम्ब के लिये रू0 1000.00 (एक हजार मात्र) प्रतिदिन अर्थदण्ड देय होगा जिसकी अधिकतम सीमा 45 दिन होगी तथा नियत समय के अन्दर अनुबन्ध के संबंध में समस्त कार्यवाही पूर्ण करना अनिवार्य है अन्यथा स्वीकृति की वैधता स्वतः समाप्त हो जायेगी।
- P) निविदादाता द्वारा साईट पर मगायी गयी समग्रियों की टेस्टिंग रिपोर्ट एवम् बी0आई0एस0 प्रमाण-पत्र तथा आई0एस0ओ0 प्रमाण-पत्र एवम् कम्पनी द्वारा देय वारंटी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- Q) निविदादाता द्वारा साईट पर मंगायी जाने वाली समग्रियों का गीडा के अधिकारी/कर्मचारी द्वारा निविदादाता के साथ फैक्ट्री में संयुक्त निरीक्षण के उपरान्त सामग्रियों मानक एवम् गुणवत्तापूर्ण पाये जाने पर ही निविदादाता द्वारा सामग्रियों की आपूर्ति संबंधित साईट पर की जायेगी।
- R) ITB क्लाज 4:4 बी. के अनुसार बिडस के साथ दिये गये सभी प्रपत्र के सत्यता एवं सूचना के सम्बन्ध में रू0 100.00 के नॉन ज्यूडिशियल स्टैम्प पेपर पर शपथ प्रमाण-पत्र मूल रूप में "मुख्य कार्यपालक अधिकारी गीडा, गोरखपुर" को सम्बोधित करते हुए बिडस की अन्तिम तिथि के पूर्व का एवं ई-प्रोक्यूरमेंट के अन्तिम समय से पूर्व का होना चाहिए।
- S) निविदादाता द्वारा निर्धारित समय से कार्य पूर्ण न किये जाने की दशा में विलम्ब का कारण दर्शाते हुए संतोषजनक उत्तर न देने पर समयवृद्धि अथवा संतोषजनक कारण न होने पर प्रति माह अनुबन्ध की धनराशि पर 01 प्रतिशत अथवा उससे अधिक दण्ड शुल्क लगाते हुये समय वृद्धि स्वीकृत करने का अधिकार मुख्य कार्यपालक अधिकारी गीडा में निहित होगा।
- T) निविदादाता द्वारा कार्य पूर्ण होने के पश्चात् 24 माह के अन्दर कराये गये कार्य में किसी प्रकार की कमी पाये जाने पर कमी को दूर करना निविदादाता/फर्म की पूर्ण जिम्मेदारी होगी। अन्यथा की स्थिति में धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा कराये गये कार्य की निर्धारित लायबिलिटी पीरियड के साथ 24 माह बाद धरोहर धनराशि वापस की जायेगी।
- U) निविदादाता द्वारा निविदा में संलग्न प्रपत्र जाँच के समय अथवा बाद में असत्य पाया जाता है तो संबंधित फर्म/निविदादाता के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कराते हुए धरोहर धनराशि/परफॉर्मन्स सिक्योरिटी जब्त कर निविदाकार को ब्लैक लिस्ट किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

V) (i) ऑन लाईन ई-निविदा में अपलोड किये गये प्रपत्रों का ही परीक्षण किया जायेगा, पृथक से कोई प्रपत्र अनुमन्य नहीं होगा।

(ii) अव्यवहारिक दरें किसी भी दशा में मान्य नहीं होंगी।

(iii) निविदादाता द्वारा मानक के अनुसार कराये गये कार्यों का समय-समय पर भुगतान किया जायेगा एवम् तकनीकी जाँच समिति अथवा गुणवत्ता जाँच थर्ड पार्टी की संस्तुति तथा कार्य पूर्ण होने पर विद्युत सुरक्षा निदेशालय उ० प्र० शासन द्वारा स्थलीय निरीक्षण/जाँच में कार्य संतोषजनक पाये जाने के पश्चात् ही

W) निविदादाता के बिल से 1 प्रतिशत श्रमिक पंजीयन उपकर (सेस चार्ज) की कटौती नियमानुसार की जायेगी।

(i) जी०एस०टी० एवम् अन्य करों के देयता नियमानुसार निविदादाता की होगी।

(ii) निविदादाता द्वारा आगणन की दरों में सम्मिलित जी.एस.टी. के दृष्टिगत अपनी दरों को अंकित करना है।

X) निविदा स्वीकृति के समय निविदादाता को अतिरिक्त धरोहर धनराशि अपर मुख्य सचिव उ० प्र० शासन के शासनादेश संख्या 8/2017/836/23-7-17-176 (सा.)/06 दिनांक 08.06.2017 के पैरा-19 के अनुसार देय होगी।

(i) सफल निविदादाता को आगणन में प्रयुक्त सामग्री की आपूर्ति एवम् फिक्सिंग का कार्य उ० प्र० पावर कार्पोरेशन लि०, द्वारा अनुमोदित जी०टी०पी० के अनुसार करना होगा। विद्युत कार्य हेतु नियम एव शर्तें गीडा/यू०पी०पी०सी०एल० के अनुसार अनुमन्य होगा।

Y) कार्य को फर्म/निविदादाता द्वारा अनुबन्ध की प्रक्रिया सम्पन्न होने की तिथि से निर्धारित अवधि के अन्दर पूर्ण करना होगा।

Z) किसी भी विवाद की दशा में मुख्य कार्यपालक अधिकारी गीडा का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।

(पवन अग्रवाल)

मुख्य कार्यपालक अधिकारी

पत्रांक 6264 - /अभि०नि०-6/विद्युत/ई-निविदा /गीडा/2022-23 दिनांक 27 मार्च, 2023

प्रतिलिपि :-

1- अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी गीडा।

2- निविदा समिति के सदस्यों को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु।

3- श्री अजय कुमार राय वरिष्ठ प्रबन्धक (सि०)/नोडल प्रभारी कम्प्यूटर अनुभाग गीडा को इस आशय से प्रेषित कि निश्चित समय पर वेबसाईट <http://etender.up.nic.in/www.gidagkp.in> पर अपलोड/डाउनलोड कराना सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

4- गीडा कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

5- संबंधित पत्रावली हेतु।

(पवन अग्रवाल)

मुख्य कार्यपालक अधिकारी